FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• श्री पप्पू पुत्र छीतर खां पिनारा जाति पिनारा उम्र 50 साल निवासी आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
—वादी

बनाम

• श्री गफूर पुत्र छीतर खां जाति पिनारा ग्राम आकोडिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान वगै.
—प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा— 53, 188 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 90 /2022
ऑनलाइन नंबर 2022/96.....

वकील वादी :— भागीरथ जी चौधरी
वकील प्रतिवादी अशोक शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.09.2022	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री भागीरथ जी चौधरी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.का.अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वकील वादी को वाद पत्र पर सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो। 7.9.22 उपखण्ड अधिकारी अरांई	
16/9/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप0/प्रतिवादीगणों के तामिलशुदा सम्मन आ0 कि0 / प्रतिवादी सं 01 से 05 की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा उप. [illegible] पेश आये और आ0 कि0 के P.O. स्ट. सरपंच हेतु बाहर पश्चात् पत्रावली दिनांक 23/9/22 को पेश हो	
23/9/22	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / वादी.....हेतु समय चाहा/वास्ते.....पत्रावली दिनांक 7/10/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ..... दिनांक 11/7/25 को पेश हो।
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुप। बाकी साक्ष्य हेतु ..... पत्रावली दिनांक 12/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई
12/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुप। वास्ते बाकी साक्ष्य हेतु दिनांक 3/10/25 को पेश हो।
3/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. बाकी साक्ष्य हेतु ..... पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई
21/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुप। न्यायालय समय 1-2 पर आवाजी लगवाई गई। किन्तु वकील पक्षकारान अनुप पत्रावली आज दायर की एवं आज पैरवी से खारीज कराती है।